

बिहार स्टेट माइनिस्ट्रीज फाइनेंसियल कारपोरेशन लि. पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हाईजि रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994

(Email=minocorporatna@gmail.com, website:www.bsmfc.org)

संख्या: 719- बी.एस.एम.एफ.सी. /

पटना, दिनांक: 27/04/18

स्वीकृत्यादेश

राज्य सम्पत्तिगत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक राजगार ऋण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जिला स्तरीय चयन समिति से दिनांक-02.03.17 एवं 04.03.17 को मधुबनी जिला के चयनित आवेदकों में से प्रमुखतः प्रभासी द्वारा जूटिहीन कागजात प्राप्त कर उनका स्थल जाँच कर स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण की स्वीकृति के लिए की गयी अनुशंसा के आधार पर निम्न 1 लागुक को उनके नाम के सामने अंकित डेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात इनके द्वारा समर्पित किये गये कोरेशन के आधार पर वाहन आपूर्तिकर्ता तथा अवशेष राशि लाभांश के बैंक खाता में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से अन्तरित करने की अनुमति दी जाती है।

Sl. No.	Name/ Father's Name & Address	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	MD AMANULLAH, S/o- ABDUL MAZEED, VIII.+ PO- BHAGWATIPUR, Block + PS - PANDAUL, Distt.-MADHUBANI-847234	NEW SCORPIO S3, BS IV SUPPLIER - SHIV SHAKTI WAHAN PVT. LTD., NH-57 NEAR DILLI MORE FLYOVER, BASUDEOPUR, DARBHANGA - 846004 (Bihar)	500000	2500	497500
		TOTAL	5000000	2500	497500

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित डेड में लाभांश द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चय रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से संचित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की शैतिक जाँच कर प्रमुखतः प्रभासी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान वित्तिसक किस्ती अथवा 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

प्राप्त निदेशक
27/04/18